47th GST Council Meeting and Highlights

Background:

- The 101 st Constitutional Amendment Act 2016 created the mechanism for levying a common nationwide Goods and Services Tax (GST).
- The adoption of GST was made possible by States giving almost all their powers to impose local-level indirect taxes and agreeing to let the prevailing multiplicity of imposts be subsumed into the GST.
- In the framework of GST, States would receive the SGST (State GST) component of the GST, and a share of the IGST (integrated GST).

GST Council

- It is a **Constitutional Body (Article 279A)** for making recommendations to the Union and State Government on issues related to Goods and Services Tax.
- It is considered as a federal body where both the centre and the states get due representation.
- **Composition:**

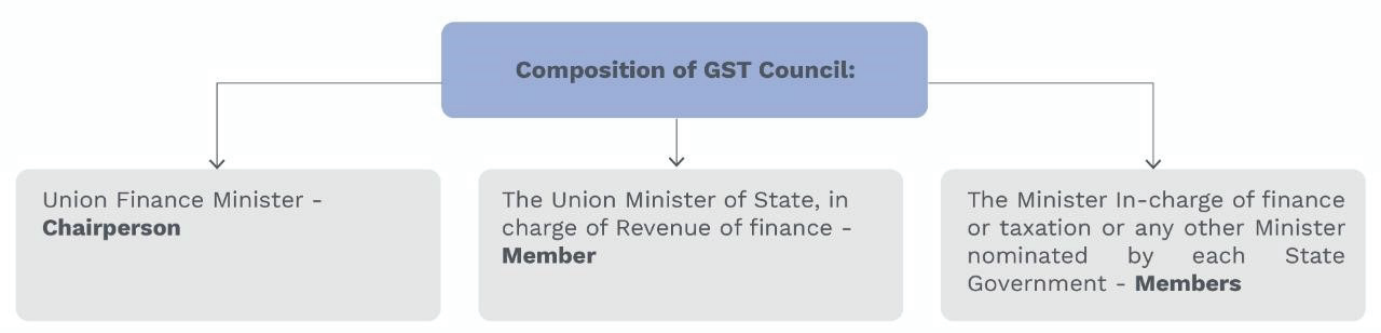

- **Function:**
  - The GST Council makes recommendations to the Union and the states on important issues related to GST, like the goods and services that may be subjected or exempted from GST, model GST Laws.
  - It also decides on various rate slabs of GST.
- **Function:**
  - Every decision of the GST Council has to be taken by a **majority of not less than three-fourths** of the weighted votes of the members present.
  - The vote of the central government has a weightage of one-third of the total votes cast, and the votes of all the state governments taken together have a weightage of two-thirds of the total votes cast in that meeting.

47th GST Council Meeting and Highlights

47th meeting of the GST Council: Key Takeaways

- The GST Council discussed recommendations of four ministerial panels on:
  - rate rationalisation,
  - the movement of gold and precious stones
  - system reforms,
  - casinos, horse racing and online gaming.
- The GST council has also accepted the recommendation by the group of ministers on correcting the inverted duty structure.
- A host of items now attract higher GST.
  - For instance, LED lamps, ink, knives, blades, power-driven pumps, and dairy machinery will attract 18% GST, higher than the existing 12%.
- Goods that are unpacked and unlabelled are exempted from GST.
- **Mandatory generation of e-way bills** by states for intrastate transportation of gold and precious stones with a minimum threshold of Rs 2 lakh was also approved.

Changes in GST after 47th Meeting

Rate	Goods and Services
5% to 12%	• Solar water heater and system • Petroleum/Coal bed methane
12 % to 18 %	• Printing, writing or drawing ink • Power driven pumps
0.25 % to 1.5 %	• Cut and Polished Diamonds
12% to 5%	• Ostomy appliances, Orthopaedic appliances
18% to 5%	• Transport of goods and passengers by ropeways (with input tax credit)
18% to 12%	• Renting of truck/goods carriage where cost of fuel is included

47th GST Council Meeting and Highlights

Exemptions to be withdrawn

Rate	Goods and Services
0% to 18%	• Cheques, lose or in book form
0% to 12%	• Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed

47वीं जीएसटी परिषद की बैठक

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक की अध्यक्षता की।

पृष्ठभूमि:

- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने एक समान राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के लिए तंत्र बनाया।
- राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर के अप्रत्यक्ष करों को लागू करने के लिए लगभग सभी शक्तियां देकर जीएसटी को अपनाना संभव बनाया गया था और मौजूदा बहुलता को जीएसटी में शामिल करने के लिए सहमत हुए थे।
- जीएसटी के ढांचे में, राज्यों को जीएसटी का एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) घटक और आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) का एक हिस्सा प्राप्त होगा।

जीएसटी परिषद:

- यह माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279 ए) है।
- इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहां केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।
- **संयोजन:**

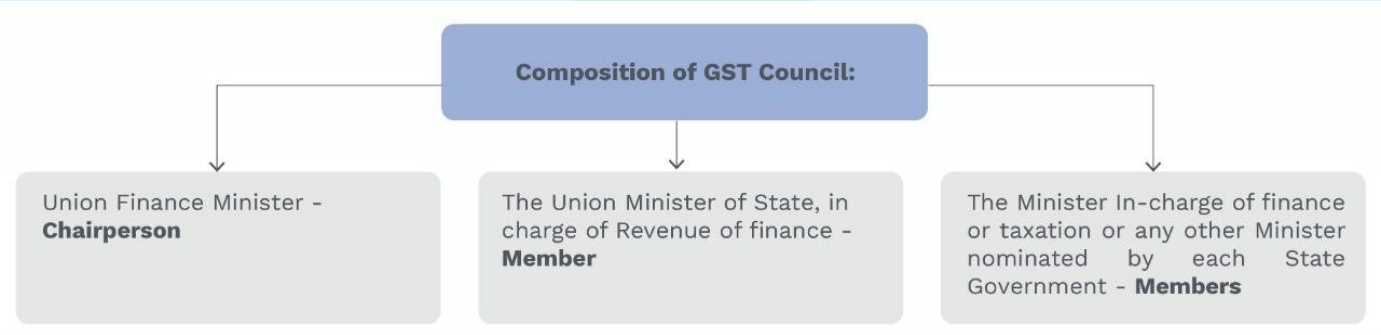

- संविधान के संशोधित अनुच्छेद 279A के अनुसार, GST परिषद जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
  - केंद्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष
  - केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त राजस्व के प्रभारी - सदस्य
  - वित्त या कराधान का प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री -सदस्य

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स

- **कार्य:**
  - जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करती है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के अधीन या छूट दी जा सकती है, मॉडल जीएसटी कानून।
  - यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेती है।

- **मतदान:**
  - संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार, मतदान के मामले में, जीएसटी परिषद के प्रत्येक निर्णय को उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत से लेना होता है।
  - केंद्र सरकार के वोटों का भार कुल वोटों का एक-तिहाई होता है, और सभी राज्य सरकारों के वोटों को मिलाकर उस बैठक में डाले गए कुल वोटों का दो-तिहाई भार होता है।

जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक: प्रमुख तथ्य

- जीएसटी परिषद ने मंत्रिस्तरीय पैनल की निम्नलिखित चार सिफारिशों पर चर्चा की:
  - दर युक्तिकरण,
  - सोने और कीमती पत्थरों की आवाजाहीव्यवस्था सुधार,
  - कसीनो, घुड़दौड़
  - ऑनलाइन गेमिंग।
- जीएसटी परिषद ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने पर मंत्रियों के समूह की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया है।
- कई आइटम अब उच्च जीएसटी को आकर्षित करते हैं।
- उदाहरण के लिए, एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप और डेयरी मशीनरी पर 18% जीएसटी लगेगा, जो मौजूदा 12% से अधिक है।
- बिना पैक और बिना लेबल वाले सामान को जीएसटी से छूट दी गई है।
- कम से कम 2 लाख रुपये की सीमा के साथ सोने और कीमती पत्थरों के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए राज्यों द्वारा अनिवार्य रूप से ई-वे बिल तैयार करने को भी मंजूरी दी गई।

47th GST Council Meeting and Highlights

47वीं बैठक के बाद जीएसटी में बदलाव

दर	वस्तु एवं सेवाएं
5% से 12%	• सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम • पेट्रोलियम/कोल बेड मीथेन
12 % से 18 %	• मुद्रण, लेखन या चित्रकला स्याही • बिजली से चलने वाले पंप
0.25 % से 1.5 %	• कटे और पॉलिश किए हुए हीरे
12% से 5%	• अस्थि-पंजर उपकरण, हड्डी रोग उपकरण
18% से 5%	• रोपवे द्वारा माल और यात्रियों का परिवहन (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ)
18% से 12%	• ट्रक/माल ढुलाई का किराया जहां ईंधन की लागत शामिल है

वापस ली जाने वाली छूट

Rate	Goods and Services
0% से 18%	• चेक (लूज़ या बुक फ़ॉर्म)
0% से 12%	• मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें मुद्रित एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं।